Member of Parliament Local Area Development Scheme

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली–110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं. सी/16/2009-एमपीलैड्स

Dated .....1 जून, 2010

सेवा में

सचिव,
एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।

विषयः- राज्य सभा के पूर्व-सांसदों के अव्ययित शेष का वितरण ।

राज्य सभा के पूर्व-सांसदों के अव्ययित शेष अर्थात् सभी प्रतिबद्ध कार्यों (अनुशंसाएं जो दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं, पात्रता की सीमा के भीतर हैं तथा सांसद के कार्यकाल की आखिरी तारीख से पहले जिला प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुई हैं, और जिन्हें मंजूर कर दिया गया है) के पूरा होने के बाद प्रोद्भूत निधि/बचत के शेष के वितरण का एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 4.8, 4.9 तथा 4.12 में उल्लेख किया गया है । अव्ययित शेष के वितरण से संबंधित मुद्दों को प्रशिक्षण कार्यशालाओं, समीक्षा बैठकों आदि में भी बार-बार स्पष्ट किया गया है । इसके बावजूद, राज्य सभा के कुछ सांसदों ने इस मंत्रालय को बताया है कि राज्य सभा के पूर्व-सांसदों का अव्ययित शेष उनके खातों में वितरित नहीं किया गया है ।

2. इस संबंध में निम्नलिखित अनुदेशों को दोहराया जाता हैः-

(i) **किसी राज्य विशेष में राज्य सभा के पूर्व निर्वाचित सदस्यों के अव्ययित शेष को राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के उत्तरवर्ती निर्वाचित राज्य सभा सदस्यों के बीच बराबर-बराबर बांटा जाएगा ।**
उदाहरण के लिए यदि किसी राज्य से 'ए', 'बी', 'सी' तीन राज्य सभा सदस्य रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर तीन सदस्य 'डी', 'ई', 'एफ' निर्वाचित होते हैं, तो 'ए', 'बी' और 'सी' के संबंध में, उनके संबंधित नोडल जिलों द्वारा सूचित किए गए अव्ययित शेष को जोड़ा जाएगा तथा 'डी', 'ई' और 'एफ' के एमपीलैड्स खातों में बराबर-बराबर वितरित किया जाएगा । तथापि, यदि कोई सांसद जैसे 'के' पुनःनिर्वाचित होता है, तो वह अपना उत्तरवर्ती स्वयं होगा तथा 'ए', 'बी', 'सी' का अव्ययित शेष 'के' को वितरित नहीं किया जाएगा ।

(ii) यदि किसी निर्वाचित राज्य सभा सांसद की कार्यावधि उसके कार्यकाल के भीतर (मृत्यु, त्यागपत्र आदि के कारण) समाप्त हो जाती है और स्थान रिक्त हो जाता है, शेष कार्यकाल के लिए उसके स्थान पर शेष कार्यावधि के लिए एक उत्तरवर्ती सांसद निर्वाचित होता है, ताकि दोनों सांसदों की कुल कार्यावधि छह वर्ष हो जाए । चूंकि, एक अकेला उत्तरवर्ती स्पष्टतया अभिचिह्नित होता है, इसलिए पूर्व-सांसद की अव्ययित/जारी न की गई राशि उत्तरवर्ती सांसद को स्वतः अंतरित की जानी है तथा इसे अन्य सांसदों के बीच वितरित नहीं किया जाना है ।

(iii) यदि 1993-94 से किसी जिले (जिलों) से राज्य सभा के किसी पूर्व-सदस्य(सदस्यों) के किसी अव्ययित शेष की सूचना मिलती है, जिसका वितरण नहीं किया गया है तथा निधि के लिए किसी स्पष्ट उत्तरवर्ती की पहचान नहीं हो सकती है, तो अव्ययित शेष राज्य के सभी वर्तमान राज्य सभा सदस्यों के बीच वितरित किया जाएगा ।

उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य में इस समय राज्य सभा के पांच सदस्य हैं, जैसे 'डी', 'ई', 'एफ' (नव निर्वाचित), 'के' (पुनःनिर्वाचित) और 'जी' (जिनका कार्यकाल चल रहा है), और अब किसी जिले ने किसी राज्य सभा सदस्य के वर्ष 2004 के किसी अव्ययित शेष जैसे 2 लाख रु. की सूचना दी है, तो 2 लाख रु. का अव्ययित शेष सभी वर्तमान सदस्यों 'डी', 'ई', 'एफ', 'के' और 'जी' के बीच बराबर-बराबर बांटा जाएगा ।

(iv) पहले के ऐसे अवितरित अव्ययित शेष का पता लगाने और उसे वितरित करने के लिए, राज्य सरकारें किसी विशिष्ट दिन जैसे प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर या 1 जनवरी को सभी जिलों के साथ एक समीक्षा करें ।

(v) इसी प्रकार, मनोनीत राज्य सभा सांसदों के संबंध में, सभी अनुशंसित तथा स्वीकृत कार्यों के पूरा होने के बाद, उनके संबंधित नोडल जिलों द्वारा अव्ययित शेष की सूचना मंत्रालय को दी जाएगी, जो उसकी जांच करेगा तथा उसके वितरण के लिए उचित निदेश देगा ।

(vi) अप्रतिबद्ध शेष (अर्थात् संबंधित पूर्व राज्य सभा सांसद (सांसदों) के खाते में उपलब्ध निधि का शेष जो उनकी अनुशंसाओं के लिए प्रतिबद्ध नहीं है) का वितरण भी उसी ढंग से किया जाएगा जैसा पैरा 2(i), 2(ii) और 2(iii) में उल्लेख किया गया है, जैसा भी मामला हो । जब कभी राज्य सभा सांसद पद छोड़ते/रिटायर होते हैं और उत्तरवर्ती सांसद तीन महीने की अवधि के भीतर निर्वाचित होते हैं, तो राज्य सरकार को अप्रतिबद्ध शेष की समीक्षा करनी चाहिए । अव्ययित शेष की समीक्षा करते समय सभी जिलों के साथ अव्ययित शेष की समीक्षा करते हुए वे स्थिति की समीक्षा भी करें ।

राज्य सभा के पूर्व-सांसद(सांसदों) के सभी पात्र अनुशंसित कार्यों के पूरा होने के बाद, यदि अव्ययित शेष/बचत उपलब्ध हो, तो संबंधित नोडल जिलों द्वारा उसकी सूचना राज्य नोडल विभागों को दी जाएगी, जो उत्तरवर्ती राज्य सभा सदस्य(सदस्यों) को अव्ययित शेष/बचत का वितरण करेंगे, जैसा उपर्युक्त पैरा 2(i), 2(ii) और 2(iii) में उल्लेख किया गया है ।

भवदीय,

धर्मपाल

(धर्म पाल)
उप सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. 011-23364193

प्रतिलिपि सूचनार्थः

(i) आयुक्त, कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम,
नोडल जिलों के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

(ii) निदेशक, एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।

(iii) निदेशक, एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।